राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 279/2024

बाबूलाल सोलंकी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, आयुर्वेदिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर राजस्थान।
3. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, पाली।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 30.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री हिम्मत जग्गा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में आदेश दिनांक 01.11.1999 (अनुलग्नक–3) को चुनौती दी है जिसमें अपीलार्थी की प्रतिकूल प्रविष्टियों को यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी ने अपनी एपीएआर से प्रतिकुल प्रविष्टियों को हटाये जाने की प्रार्थना की है।
2. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
3. हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने इस अपील में अपनी एपीएआर में प्रतिकुल प्रविष्टियों को हटाए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर विचार कर प्रतिकूल प्रविष्टियों को यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के उक्त आदेश को चुनौती दी है, जो प्रतिकुल प्रविष्टियों के संबंध में है। हमारे मत में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण Tayyab Ali Vs State of Rajasthan 1988(2)WLN255 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया हैः–

> *"We are therefore, of the opinion that an adverse entry in the Annual Performance Appraisal Report or any order rejecting representation against the same is not included within the ambit of Sub-clause (v) of Clause (f) of Section 2 of the Act; and, therefore, an appeal to the Tribunal merely against such an adverse entry or an order rejecting the representation against the same does not lie under the Act. We are also of the opinion that even though such an adverse entry or an order rejecting the representation against the same by*

itself is not appealable to the Tribunal as already stated, yet the correctness thereof can be assailed by the Government Servant while challenging any consequent order based on or influenced by it relating, to any of the matters specified in the several sub-clauses of Clause (f) of Section 2; and in that event the limitation for appeal to the Tribunal will be reckoned from the date of the consequent order and not the date of the adverse entry or the order rejecting the representation against it. We answer the above quoted question accordingly."

4. उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि इस अधिकरण के समक्ष एपीएआर में दी गई रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)